



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 631]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 2012/अग्रहायण 20, 1934

No. 631]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 2012/ARGAHAYANA 20, 1934

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 27 नवम्बर, 2012

**विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2012**

सा.का.नि. 886(अ)—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (डी) और धारा 47 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 3/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(ए) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2012 कहलाएंगे।

(बी) ये विनियम सरकारी राजपत्र (गज़ट) में उनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

### 2. विनियमों में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 3/2000-आरबी), (अब इसके आगे "मूल विनियमावली" के रूप में उल्लिखित) में

(ए) अनुसूची II में पैराग्राफ (3) में,

(i) उप-पैराग्राफ (xii) के बाद निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

(xiii) कम कीमत वाली सस्ती आवास परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा उधार

"पात्रता मानदंड पूरे करने वाले विकासकर्ता/बिल्डर्स, आवास वित्त कंपनियों (HFCs) तथा राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) उक्त अधिनियम अथवा इस अनुसूची के अनुसार उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुसार, कम कीमत वाली सस्ती आवास परियोजनाओं/यूनिटों के विकासकर्ताओं/संभावनी स्वामियों को वित्तपोषित करने के लिए विदेशी मुद्रा में ऋण ले सकेंगे बशर्ते, उनके द्वारा रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, इस विषय में जारी यथाविनिर्दिष्ट शर्तों का पालन किया जाता है।"

[सं. फेमा. 246/2012-आरबी]

रशिम फौजदार, मुख्य महाप्रबंधक

- i. सं. सा.का.नि. 674(अ), तारीख 25 अगस्त, 2000
- ii. सं. सा.का.नि. 476 (अ), तारीख 8 जुलाई, 2002
- iii. सं. सा.का.नि. 854(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2002
- iv. सं. सा.का.नि. 531(अ), तारीख 9 जुलाई, 2003
- v. सं. सा.का.नि. 533(अ), तारीख 9 जुलाई, 2003
- vi. सं. सा.का.नि. 208(अ), तारीख 23 मार्च, 2004
- vii. सं. सा.का.नि. 825(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2004
- viii. सं. सा.का.नि. 60(अ), तारीख 9 फरवरी, 2005
- ix. सं. सा.का.नि. 739(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2005
- x. सं. सा.का.नि. 663(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 2007
- xi. सं. सा.का.नि. 61(अ), तारीख 30 जनवरी, 2009
- xii. सं. सा.का.नि. 547(अ), तारीख 27 जुलाई, 2009
- xiii. सं. सा.का.नि. 836(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2009
- xiv. सं. सा.का.नि. 610(अ), तारीख 3 अगस्त, 2012
- xv. सं. सा.का.नि. 832(अ), तारीख 17 नवम्बर, 2012

**RESERVE BANK OF INDIA**  
(Foreign Exchange Department)  
(CENTRAL OFFICE)

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 27th November, 2012

**Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending  
in Foreign Exchange) (Third Amendment) Regulations,  
2012**

**G.S.R. 886(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of Section 6, and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 3/2000-RB, dated May 3, 2000, namely :—

**1. Short title and commencement :**

(a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Third Amendment) Regulations, 2012.

(b) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment of the Regulations :**

In the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 3/2000-RB, dated May 3, 2000) (hereinafter referred to as 'the principal regulations')

(A) In Schedule II, in paragraph (3),—

(i) after sub-paragraph (xii), the following shall be inserted, namely :—

(xiii) foreign currency borrowings for low cost affordable housing projects

"Developers/builders meeting the eligibility criteria, Housing Finance Companies (HFCs) and National Housing Bank (NHB) shall avail of foreign currency loans in accordance with the Act, or the Rules and Regulations made thereunder in accordance with this Schedule, for financing developers/prospective owners of low cost affordable housing projects/units subject to the terms and conditions as may be specified by the Reserve Bank from time to time in this regards".

[No. FEMA 246/2012-RB]

RASHMI FAUZDAR, Chief General Manager

- i. No. G.S.R. 674(E) dated August 25, 2000
- ii. No. G.S.R. 476(E) dated July 8, 2002
- iii. No. G.S.R. 854(E) dated December 31, 2002
- iv. No. G.S.R. 531(E) dated July 9, 2003
- v. No. G.S.R. 533(E) dated July 9, 2003
- vi. No. G.S.R. 208(E) dated March 23, 2004
- vii. No. G.S.R. 825(E) dated December 22, 2004
- viii. No. G.S.R. 60(E) dated February 9, 2005
- ix. No. G.S.R. 739(E) dated December 22, 2005
- x. No. G.S.R. 663(E) dated October 16, 2007
- xi. No. G.S.R. 61(E) dated January 30, 2009
- xii. No. G.S.R. 547(E) dated July 27, 2009
- xiii. No. G.S.R. 836(E) dated November 23, 2009
- xiv. No. G.S.R. 610(E) dated August 3, 2012
- xv. No. G.S.R. 832(E) dated November 17, 2012